नगर परिषद सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का
अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 01.04.2016 से 31.03.2018
भाग-एक

1 प्रारम्भिक

(क) ग्यारहवे वित आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 255(1) मे संशोधन होने व प्रधान सचिव (वित) हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या: 1 -376/81-फिन(एल.ए.) खण्ड-IV दिनांक 16.10.2008 द्वारा नगर परिषदों तथा नगर पंचायतों के अंकेक्षण का दायित्व स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश को सौंपे जाने के दृष्टिगत, नगर परिषद सुन्दरनगर, जिला मण्डी हिमाचल प्रदेश के अवधि 01.04.2016 से 31.03.2018 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि 01.04.2016 से 31.03.2018 तक के दौरान नगर नगर परिषद सुन्दरनगर मे निम्न प्रधान व कार्यकारी अधिकारी के पद पर पर कार्यरत रहेः-

(i) प्रधान

क्रमांक	**अवधि**	**नाम**
1.	01.04.2016 से 31.03.2018 तक	श्रीमति पूनम शर्मा

(ii) कार्यकारी अधिकारी

1.	01.04.2016 से 25.04.2016 तक	श्रीमति उर्वशी वालिया
2.	26.04.2016 से 21.07.2016 तक	श्री वेद प्रकाश (तहसीलदार)
3.	22.07.2016 से 31.03.2018 तक	श्री अशोक कुमार शर्मा

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार

नगर परिषद मण्डी के अवधि 01.04.2016 से 31.03.2018 तक के अंकेक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनिमियतताओं का सार निम्न प्रकार से है : -

क्रमांक	**अनियमितताओं का सार**	**पैरा सं0**	**राशि (₹) (लाखों में)**
1	अनुदानो की राशि उपयोग हेतु शेष	6(ख)	1412.09
2	गृहकर बकाया राशि वसूली हेतु शेष	7(क)	167.64
3	गृहकर की दरों में नियमानुसार बढ़ोत्तरी न करने के कारण परिषद को वितीय हानि	7(ख)	7.07
4	दुकान किराए की बकाया राशि वसूली हेतु शेष	8(क)	34.37
5	सुकेत शपिंग काम्प्लेक्स में निर्मित दुकानों से देय किराया वसूली का अंकेक्षण में सत्यापन न करवाना	8(ग)	3.59 प्रतिमाह
6	सफाई ठेकेदारों द्वारा घर-घर से कूड़ा एकत्रित करने हेतु देय शुल्क की कम वसूली करने के कारण सम्भावित हानि	10	3.47
7	आयकर विभाग को जुर्माने के तौर पर भुगतान का अभिलेख अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत न करना	11	2.02
8	निर्माण कार्य में ठेकेदार को दोहरे भुगतान के कारण अधिक भुगतान	19	0.30

9	विभिन्न निर्माण कार्यो से काटे गए श्रमकर को संम्बधित विभाग में जमा न करना	26	3.19
10	नगर परिषद निधि/अनुदान खाते से पेंशन निधि खाते में राशि का अनियमित हस्तांतरण	28	55.00
11	उच्च दर पर साफ सफाई का ठेका देने पर सम्भावित वित्तीय हानि	35	1.85

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन

गत अंकेक्षण प्रतिवेदनो मे शेष पैरों पर की गई कार्रवाई का अवलोकन करने के उपरान्त पैरों की नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के **परिशिष्ट- 1** पर दर्शाई गई है । प्राय: यह देखने मे आया है कि गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर परिषद द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है, जोकि अत्यंत चिंताजनक विषय है। अत: परिषद द्वारा इन लंबित पैरों के निंपटारे हेतु विशेष अभियान / कारवाई करनी सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से यथा समय अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ताकि अधिक से अधिक पैरों का निस्तारण संभव हो सके।

भाग –दो

2 वर्तमान अंकेक्षण

नगर परिषद सुन्दरनगर के अवधि 01.04.2016 से 31.03.2018 तक के लेखाओं का वर्तमान अंकेक्षण जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों मे दिये गए है, श्री मोहिंद्र कुमार, (सहायक नियंत्रक) व श्री शिव कुमार (क०ले०प०) द्वारा अवधि 13.06.2018 से 06.8.2018 तक के दौरान नगर परिषद, सुन्दरनगर के कार्यालय मे किया गया । विस्तृत अंकेक्षण हेतु आय के लिए माह 03/2017 व 05/2017 तथा व्यय लिए माह 12/2016 व 02/2018 के लेखाओं का चयन किया गया ।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचनाओं व अंकेक्षण मे प्रस्तुत अभिलेख के आधार पर तैयार किया गया है। परिषद द्वारा प्रदान की गई किसी भी गलत सूचना अथवा सूचना प्रदान न करने की स्थिति मे इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर पड़ने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग उतरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क

नगर परिषद सुन्दरनगर के अवधि 01.04.2016 से 31.03.2018 तक के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹63800 आंका गया। कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद सुन्दरनगर को सहायक नियंत्रक, लेखा परीक्षा की अधियाचना संख्या:फिन(एल0 ए0) मंडी -8/18-192 दिनांक 6.8.2018 के द्वारा अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला-9 को भेजने का अनुरोध किया गया।

4 वितीय स्थिति

(क) नगर परिषद सुंदरनगर द्वारा यथा **परिशिष्ट "क"** के अन्तर्गत प्रस्तुत सूचनानुसार नगर परिषद की अवधि 01.04.2016 से 31.03.2018 तक की वितीय स्थिति निम्न प्रकार से है।

वित्तीय वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	स्वः स्त्रोतौ से आय (₹)	अनुदान (₹)	ब्याज (₹)	कुल योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तशेष (₹)
2016-17	146636988.07	6557258.00	86160767.00	7097363.00	246452376.07	89476729.00	156975647.07
2017-18	156975647. 07	9753615.00	83236666.00	7878448.00	257844376.07	71591089.00	186253287.07

(ख) बैंक समाधान विवरणी (परिशिष्ट – "क")

	विवरण	राशि (₹)
	दिनांक 31-3-2018 को रोकड़ बही के अनुसार अन्तशेष	186253287.07
जमा	गत लेखा अंकेक्षण प्रतिवेदन के अनुसार अन्तर की राशि (अंकेक्षण अवधि 04/2007 से 03/2011)	(+) 3451189.82
जमा	गत लेखा अंकेक्षण प्रतिवेदन के अनुसार अन्तर की राशि (अंकेक्षण अवधि 04/2011 से 03/2014)	(+) 415623.42
जमा	गत लेखा अंकेक्षण प्रतिवेदन के अनुसार अन्तर की राशि (अंकेक्षण अवधि 04/2014 से 03/2016)	(+) 434614.74
जमा	दिनांक 31-3-2018 को रोकड़ बही मे भुगतान हेतु जारी किए गए चैक जिन का बैंक से भुगतान नहीं हुआ (विवरण परिशिष्ट 4 "क" में वर्णित है)	(+) 1079324.00
घटाव	रोकड़ बही मे दर्ज अधिक आय	(-) 100000.00
	कुल योग	**191534039.05**
	बैंक व सावधि जमा मे राशि (निम्न विवरणानुसार)	**191537894.40**
	शुद्ध अन्तर	**3855.35**

Detail of Cash & Bank Balances as on 31.3.18

HDFC 60465	129107.82
CENTRAL BANK OF INDIA A/C 7779	57900.00
PNB A/C 69763	600713.00
PNB A/C 34271	119608.04
IDBI A/C 1700	8169966.67
IDBI A/C 1694	14968521.00
IDBI A/C 19804	4551595.00
IDBI A/C 22604	876864.00
IDBI A/C 28167	113778.00
BANK OF BARODA A/C 00063	449866.00
UNION BANK A/C 00637	1205385.00
HPS CO-OP BANK A/C 5274	8905783.32
OBC A/C 2228	4799202.00
OBC A/C 25125	2859955.00
OBC A/C 000244	2357644.00
OBC A/C 000220	3093218.00
0BC A/C 000074	256794.00
SBP A/C 5939	93762524.71
SBP A/C 6314	72295.00
SBP A/C 5576	6352843.60
ALLAHBAD BANK A/C 1023	2967837.00

HDFC BANK A/C 445600	13566600.64
CANERA BANK A/C 00407	3203820.00
HGB A/C 85447	5637738.00
SBP FDR NO.65024039776	731092.00
SBP FDR NO.65024039493	856541.00
SBI FDR A/C30217566068	611521.00
CENT.BANK OF INDIA FDR A/C 3300511	87510.00
Punjab &sind 0643	10165824.60
PLA	5846.00
Total	191537894.40

(ग) बैंक समाधान विवरणी का अंकेक्षण करने पर निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई जिनका स्थोचित समाधान करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए : –

(i) रोकड़ बही व बैंक खातों मे दिनांक 31.03.2018 को पाये गए असमाधान (Unreconciled) अंतर ₹3855.35 का मिलान नगर परिषद द्वारा अपने स्तर पर करने के उपरान्त अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए, क्योंकि संस्था द्वारा रोकड़ वही व बैंक खातों का माहवार समाधान नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या : 4.1, 4.4 व 4 (ख) के अनुसार क्रमश: दिनांक 31.03.2011 तक के लेखों मे ₹34,51,189.82, दिनांक 31.03.2014 तक के लेखों मे ₹415623.42 व दिनाँक 31.03.2016 तक के लेखों ₹434614.74 मे का अन्तर था जिसके समाधान हेतु भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है जिसके कारण स्पष्ट किए जाएँ तथा उक्त अन्तर की राशियों का शीघ्र समाधान सुनिश्चित किया जाए।

(ii) बैंक समाधान विवरणी में अवधि 11.7.2013 से 26.12.2017 तक के दौरान भुगतान हेतु जारी 74 चैक, जिन का कुल योग ₹596956 बनता है, भुगतान हेतु लम्बित दर्शाए गए थे, जिनका दिनांक 31.3.18 तक बैंकों से भुगतान नहीं हुआ था तथा जो अब कालातीत हो चुके है । अत: इस सन्दर्भ में परामर्श दिया जाता है कि वर्णित चैकों का सम्बन्धित बेंकों से भुगतान न होने का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर के या तो नए चैक जारी किये जाए अन्यथा चैकों की रोकड़ वही में reverse प्रविष्टि कर के समाधान सुनिश्चित किया जाए।

(iii) अंकेक्षण अवधि 1.4.2016 से 31.3.2018 तक प्राप्त विभिन्न अनुदान राशियों की प्रविष्टियों का रोकड़ वही से मिलान करने पर पाया गया कि पत्र सं0.125k-4-205-16-8086 dt.16-2-2017 द्वारा c/o Retaining wall in front of house of Sh. Ram Chand के लिए प्राप्त अनुदान ₹100000 को प्रथमतः माह 2/2017 मे रोकड़ वही पृ०स०10 में दर्ज किया गया था तदोपरान्त वर्णित अनुदान राशि को माह 5/2017 में रोकड़ वही पृ०स०8 में दोबारा दर्ज कर लिया गया जिसके फलस्वरूप रोकड़ वही में ₹100000 की अधिक आय दर्ज हुई है। अतः वर्णित त्रुटि की गहन छानबीन करने उपरान्त रोकड़ वही में आवश्यक समाधान प्रविष्टि करके अंतर का समायोजन किया जाए।

(घ) बैंक खातों का आवश्यकता से अधिक रख रखाव करना

नगर परिषद द्वारा अवधि 1-4-2016 से 31-3-2018 तक के दौरान विभिन्न बैंकों मे कुल 23 खाते क्रियाशील थे जिन मे इस तथ्य का स्पष्ट अभाव था कि विभिन्न शीर्षकों से प्राप्त आय कौन से बैक खातों में जमा की गई तथा विभिन्न शीर्षकों का व्यय कौन से खातों से किया गया था तथा इसके कारण विभिन्न शीर्षकों की अलग-अलग वितीय स्थिति का सही लेखांकन नहीं किया जा सकता। अत: यह सुझाव दिया जाता है कि वर्तमान में अनावश्यक व कम क्रियाशील खातों को बंद करके कम से कम खातों का परिचालन किया जाए ताकि रोकड़ बही मे विभिन्न शीर्षकों से प्राप्त आय व व्यय का आसानी से बैंक से मिलान किया जा सके तथा अलग अलग शीर्षकों की वितीय स्थिति का सही चित्रण व लेखांकन सम्भव हो सके।

(ङ) निदेशक शहरी विकास हि0प्र0 के पत्र संख्या यू.डी.- एच (बी)(15)-2/91-III दिनांक 2/2013 द्वारा नगर परिषदों को अपनी निधि राशि को राज्य सरकार के सहकारी बैंकों मे जमा रखने के लिए निर्देश जारी किए गए थे परन्तु नगर परिषद द्वारा निर्देशों के प्रतिकूल अधिकतम निधि राशि को राष्ट्रीयकृत बैंकों मे जमा रखी गई थी। अतः उपरोक्त दिशा निर्देशों को पूर्ण रूप से लागू न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए एवं भविष्य में परिषद निधि को सहकारी बैंकों मे जमा रखना सुनिश्चित किया जाए।

(च) बैंक खाता संख्या PNB -00034271 व PNB-069763 क्रियाशील न पाया जाना

नगर परिषद के अवधि 1.4.2016 से 31.3.2018 तक के लेखों के विभिन्न बैंक खातों व रोकड़ वही की जांच करने पर पाया गया कि बैंक खाता संख्या PNB -00034271 व PNB-069763 में दिनांक 4.12.17 व दिनांक 6.4.17 को क्रमश: ₹119608 व ₹600713 की राशि शेष

जमा थी परन्तु इन खातों का संचालन उक्त तिथि के बाद नहीं किया गया था। कार्यकारी अधिकारी से अंकेक्षण अधियाचना सं0-191 दिनांक 3.8.2018 द्वारा वर्णित बैंक खातों की 31.3.2018 तक आय/व्यय की प्रविष्टियों के बारे में स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया था लेकिन अंकेक्षण समाप्ति तक वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई । अत: वर्णित बैंक खातों की क्रियाशीलता व बैंक विवरणी अंकेक्षण को प्रस्तुत न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा इन खातों को बंद करके जमा शेष राशि को अन्य क्रियाशील बैंक खातों में हस्तांतरित करके उपयोग किया जाए तथा साथ में अपेक्षित बैंक विवरणी आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापना हेतु प्रस्तुत किया जाना भी सुनिश्चित किया जाए।

5 **निवेश**

नगर परिषद द्वारा दिनाँक 31.03.2018 तक ₹2286664 सावधि जमा मे निवेशित थे जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट –(ख)** मे दिया गया है । इसके अतिरिक्त ज़्यादातर राशियाँ बचत खातों मे शेष जमा थी तथा जिन पर नाम मात्र ही साधारण ब्याज अर्जित हो रहा है । अत: परिषद की वितीय स्थिति को सदृढ़ करने के उदेश्य से परामर्श दिया जाता है कि नगर परिषद की आवश्यकताओं को ध्यान मे रखते हुए आधिक्य राशियों को सावधिक जमा मे निवेशित करके ज्यादा ब्याज अर्जित किया जाए ताकि परिषद् की वित्तीय स्थिति और सुदृढ़ हो सके ।

6 **अनुदान**

(क) नगर परिषद को अंकेक्षण अवधि 01.04.2016 से 31.03.2018 तक के दौरान विभिन्न संस्थाओं से प्राप्त अनुदान राशि की वितीय स्थिति निम्न प्रकार से है जिसका विस्तृत विवरण इस प्रतिवेदन के **परिशिष्ट–(ग)** मे दिया गया है **:** –

Financial Year	**Opening Balance (₹)**	**Receipt (₹)**	**Total (₹)**	**Expenditure (₹)**	**Closing Balance (₹)**
2016-17	101897972	86160767	188058739	72647761	115410978
2017-18	115410978	83236666	198647644	57439144	141208500

(ख) अनुदानों की राशि ₹1412.09 लाख उपयोग हेतु शेष

अनुदानों की विवरणी के अवलोकन पर पाया गया कि विभिन्न स्त्रोतो से प्राप्त अनुदान की राशि मे से दिनांक 31.3.2018 को ₹141208500 की राशि उपयोग हेतु शेष थी, जबकि अनुदानों से संबन्धित स्वीकृत पत्रों के अनुसार यह राशियाँ निश्चित अवधि के भीतर उपयोग की जानी अपेक्षित होती है। अत: अनुपयोग अनुदान राशियों को समयबद्ध उपयोग न किए जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा वर्णित अनुदान राशियों को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात निर्धारित उद्देश्यों हेतु व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाए, अन्यथा इन राशियों का प्रत्यार्पण संबन्धित विभाग को किया जाए। इसके अतिरिक्त अंकेक्षण में यह भी पाया गया कि नगर परिषद द्वारा अनुदान रजिस्टर का रख-रखाव भी नही किया गया था जो कि एक गम्भीर अनियमितता है। अत: वर्णित अभिलेख का रख रखाव न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा अपेक्षित अभिलेख का रख रखाव सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

7 गृहकर

(क) गृहकर बकाया राशि ₹167.64 लाख वसूली हेतु शेष

नगर परिषद् द्वारा दिनांक 31.03.2018 तक गृहकरदाताओं से `₹16763848 बकाया राशि की वसूली की जानी शेष थी जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट (घ)** मे दिया गया है। अंकेक्षण में पाया गया कि परिषद द्वारा गृहकर की बकाया राशि की वसूली हेतु कोई ठोस कारवाई नहीं की गई थी, जोकि गम्भीर चिंता का विषय है। अत: गृहकर की नियमित रूप से वसूली न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा बकाया राशि की वसूली हेतु नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 87 व 89 मे दिये गए प्रावधानों के अनुसार कारवाई अमल मे लाई जानी सुनिश्चित की जाए, ताकि परिषद के विकास कार्य सुचारु रूप से निष्पादित किए किया जा सके।

(ख) गृहकर की दरों मे नियमानुसार बढ़ौतरी न करने के कारण परिषद को ₹7.07 लाख की वितीय हानि

अंकेक्षण अवधि 01.04.2016 से 31.03.2018 के दौरान गृहकर से संबन्धित अभिलेख की जांच करने पर पाया गया कि नगर परिषद द्वारा अपने सीमा क्षेत्र मे वर्ष 2017-18 तक गृहकर 10 % की दर से वसूल किया जा रहा था जबकि शहरी विकास निदेशालय के पत्र संख्या:

यू.डी.एच.सी. (10)-2 / 2002, दिनांक 24.09.2003 व पत्र संख्या : यू.डी.एच.सी. (10)- 7/96 –II, दिनांक 12.11.2003 द्वारा 12.5 % की दर से गृहकर लिया जाना निधारित किया गया था I इस प्रकार नगर परिषद द्वारा वर्ष 2016-17 व 2017-18 मे 10% की दर से कुल ₹5658429 गृहकर की मांग की गई, जबकि निर्धारित दर 12.5 % ₹6365733 की मांग की जानी अपेक्षित थी। अत: नगर परिषद द्वारा गृहकर ₹707304 (6365733 – 5658429) की कम मांग करने के कारण वितीय हानि हुई है जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा भविष्य में उक्त वर्णित निर्देशानुसार ही गृहकर की वसूली 12.5 % की दर से की जानी सुनिश्चित की जाए ताकि नगर परिषद क्षेत्र की विकास गतिविधियों को गति मिल सके व परिषद की वितीय स्थिति भी सुदृढ़ हो सके ।

8 **(क) दुकान किराये की बकाया राशि ₹34.37 लाख वसूली हेतु शेष**

दुकान किराया माँग व संग्रह रजिस्टरों के अवलोकन पर पाया गया कि नगर परिषद सुन्दरनगर द्वारा दिनांक 31-03-2018 को दुकानों के किराए की बकाया ₹34.37 लाख वसूली हेतु शेष थी जिसका पूर्ण विवरण इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के **परिशिष्ट (ङ)** मे दिया गया है। परिषद द्वारा मासिक किराये की राशि नियमित रूप से वसूल करने हेतु कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसके कारण किराए की बकाया राशि वर्ष दर वर्ष बढती जा रही है जोकि अत्यंत चिन्ता का विषय है। अत: मासिक किराये की राशि नियमित रूप से प्राप्त नहीं किए जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा बकाया राशि की वसूली हेतु अतिशीघ्र नियमानुसार कार्यवाही अमल मे लाई जाए और अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए I

(ख) दुकान के किराए के बकाया अंतिम शेष ₹0.24 लाख को आगामी वर्ष के मांग व संग्रह रजिस्टर में अग्रेषित न करने के कारण राजस्व हानि

दुकानों के किराए से संबन्धित मांग व संग्रह रजिस्टर की जांच मे पाया गया कि परिषद द्वारा निम्नलिखित विवरण के अनुसार वर्ष 2016-17 व 2017-18 मे बकाया किराए के अन्तशेष ₹24000 को आगामी वर्ष के मांग व संग्रह रजिस्टर में प्रारम्भिक शेष के रूप मे अग्रेषित नहीं किया गया था जिसके कारण परिषद को वर्णित राशि के राजस्व की हानि हुई है । अत: इस संदर्भ मे पूर्ण छानबीन उपरान्त वस्तु स्थिति स्पष्ट करते हुए वर्णित बकाया किराए की राशि को शीघ्र मांग व संग्रह रजिस्टर मे दर्ज करके वसूल किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए : –

क्रमांक	किराएदार का विवरण	मांग व संग्रह रजिस्टर के अनुसार बकाया अन्तशेष (₹)	बकाया अन्तशेष जो अग्रेषित किया गया (₹)	कम अग्रेषित अन्तशेष (₹)	मांग व संग्रह रजिस्टर पृष्ठ सं0
	हॉस्पिटल चौक (2017-18)				
1	श्री रमेश सुपुत्र श्री बेली राम	17600	12320	5280	61
	शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भोजपुर (2017-18)				
2	श्री वीरेन्द्र सूद	3000	0	3000	61
3	श्री सतनाम सिंह	15600	0	15600	61
	न्यू बस स्टैंड (2017-18)				
4	श्री हंसराज सुपुत्र श्री जोगल	60	0	60	65
5	श्री श्याम लाल सुपुत्र श्री जोगल	60	0	60	65
			कुल	**₹24000**	

(ग) सुकेत शॉपिंग कॉम्प्लेक्स मे निर्मित 74 दुकानों को मांग एवं संग्रह रजिस्टर में दर्ज न करना एवं इन दुकानों के प्रति माह के किराए की वसूली लगभग ₹3.59 लाख का अंकेक्षण में सत्यापन न करवाना।

नगर परिषद द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई मौखिक सूचना व प्रस्तुत सम्बन्धित अभिलेख के अनुसार सुकेत शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में निर्मित 74 दुकानों का आबटन परिषद द्वारा दिनांक 17.08.2012 को प्रारम्भ करके सम्बन्धित आबंटियों से प्रतिभूति राशि भी प्राप्त कर ली गई थी, किन्तु इन दुकानों का विवरण न तो किराये के मांग व संग्रह रजिस्टर मे दर्ज किया गया है और न ही इन दुकानों के आबंटियों से परिषद द्वारा मासिक किराया प्राप्त किया जा रहा है जोकि गम्भीर वितीय अनियमितता है । इस संदर्भ मे गत अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2011 से 03/2014 के पैरा सं 7.2 व अंकेक्षण प्रतिवेदन 04/2014 से 03/2016 के पैरा संख्या 8 (ग) के अंतर्गत भी यह मामला नगर परिषद अधिकारियों एवं विभाग के उच्च अधिकारियों के ध्यान मे लाया गया था, किन्तु परिषद द्वारा इस संदर्भ मे वर्तमान अंकेक्षण तक कोई भी कारवाई नहीं की गई जो कि एक गम्भीर चिन्ता का विषय है। इसके अतिरिक्त नगर परिषद द्वारा अंकेक्षण को इन दुकानों के बकाया किराये से संबन्धित अभिलेख भी उपलबद्ध नहीं करवाया गया जिसके अभाव मे कुल बकाया किराये की गणना वर्तमान अंकेक्षण मे सम्भव न हो सकी। अंकेक्षण में यह भी पाया गया कि नगर परिषद के सुकेत शॉपिंग कम्पेल्क्स के बैंक खाते दुकानदार स्वंय अपने अनुसार किराये को जमा करवाते है परन्तु माँग व संग्रह रजिस्टर मे प्रविष्टियाँ न होने के कारण यह स्पष्ट नहीं होता की किस दुकानदार का कितना बकाया लंबित है । कार्यकारी

अधिकारी द्वारा प्रस्तुत सूचना अनुसार सुकेत शपिंग कॉम्प्लेक्स का प्रतिमाह किराया ₹359220 है जिस का विवरण **परिशिष्ट (च)** में दिया गया है । अत: यह मामला पुन: नगर परिषद व विभाग के उच्च अधिकारियों के ध्यान मे अपेक्षित कारवाई अमल में लाने के साथ–साथ शपिंग कॉम्प्लेक्स के किराएदारों का उचित अभिलेख तैयार व रख रखाव करके आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापना हेतु प्रस्तुत करने के लिए लाया जाता है।

9 तहबजारी से प्राप्त आय ₹100 का रोकड़ बही मे कम लेखांकन करना

अंकेक्षण हेतु चयनित माह 03/17 की तहबजारी आय की रसीदों की जांच करने पर पाया गया कि रसीद संख्या 29167 से 29200 तक की रसीदों का योग 13600 बनता है परन्तु गलत गणना के कारण रोकड़ बही पृष्ठ संख्या 158 पर दिनांक 28-3-18 को केवल ₹13500 ही गणना में लिए गए थे जिसके परिणामस्वरूप ₹100 कम जमा किए गए है। अत: कम जमा करवाई गई राशि उचित स्त्रोत से वसूल करके नगर परिषद कोष मे जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

10 विभिन्न वार्डों का कूड़ा एकत्रित करने व साफ सफाई करने वाले सफाई ठेकेदारों द्वारा Door to Door शुल्क ₹3.47 लाख की कम उगाही करने के कारण वित्तीय हानि

विस्तृत अंकेक्षण हेतु चयनित माह 12/2016 व 02/2018 के भुगतान बिलों की जाँच करने पर पाया गया कि साफ-सफाई ठेकों की शर्त संख्या 14 के अनुसार ठेकेदारों द्वारा प्रतिवार्ड प्रति घर से शुल्क की उगाही करके 25-30 तारीख तक नगर परिषद कार्यालय मे जमा कारवाई जानी अपेक्षित थी परन्तु साफ सफाई ठेकेदारों द्वारा उपरोक्त मासों मे निम्न विवरणानुसार ₹346710 की कम उगाही की गई थी जिसके कारण परिषद को इस हद तक वितीय हानि हुई प्रतीत होती है। अंकेक्षण अधियाचना संख्या-181 दिनांक 24.7.2018 द्वारा उपरोकत मामला कार्यकारी अधिकारी के ध्यानार्थ लाया गया था लेकिन अंकेक्षण समाप्ती तक कोई भी करवाई नहीं की गई। अत: मामले की पूर्ण छानवीन की जाए तथा चयनित मासो के अतिरिक्त अवधि 1.4.2016 से 31.3.2018 तक के अन्य मासों के दौरान कम उगाही गई राशि की गणना अपने स्तर पर करके समस्त राशि की उचित स्त्रोत से वसूली करते हुए परिषद निधि में जमा करवाई जानी सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए : –

माह	**जो राशि उगाही कर के जमा की जानी थी (₹)**	**रोकड़ वही अनुसार प्राप्त राशि (₹)**	**कम उगाही गई राशि (₹)**
12/2016	201350	23090	178260

2/2018	201350	33500	168450
		कुल योग	**₹346710**

11 आयकर विभाग को जुर्माने के तौर पर ₹2.02 लाख के भुगतान से सम्बन्धित अभिलेख व सुचना अंकेक्षण को प्रस्तुत न करना

विस्तृत अंकेक्षण हेतु चयनित माह 12/2016 के भुगतान बिलों की जांच करने पर पाया गया कि नगर परिषद निधि से वाउचर संख्या 56 दिनांक 22.12.2016 द्वारा ₹202257 का आयकर जुर्माना राशि का भुगतान किया गया था। उकत भुगतान के संदर्भ में आयकर चालान, सक्षम अधिकारी की स्वीकृति व जुर्माना राशि के बारे में स्थिति स्पष्ट करने के लिए कार्यकारी अधिकारी से अंकेक्षण अधियाचना संख्या-182 दिनांक 26.7.2018 द्वारा अनुरोध किया गया था लेकिन अंकेक्षण समाप्ति तक वांछित सूचना अंकेक्षण को उपलब्ध नहीं कारवाई गई जिसके कारण उक्त भुगतान का पूर्ण अंकेक्षण सम्भव न हो सका । अत: उपरोक्त मामले मे स्थिति स्पष्ट करते हुए वांछित अभिलेख आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापना हेतु प्रस्तुत किया जाना सुनिशित किया जाए।

12 Mahindera Bolero SLE BS IV की खरीद पर ₹0.53 लाख सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से अधिक व्यय करना तथा क्रय से सम्बन्धित सम्पूर्ण अभिलेख अंकेक्षण को प्रस्तुत न करना

नगर परिषद के Mohindera Bolero SLE BS IV की खरीद से संबधित वाउचर सं 57 दिनांक 24.10.2017, ₹726560 का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि हिमांचल प्रदेश सरकार ने पत्र संख्या UD-C(17)1/2004- DATED 11-10-2017 द्वारा Mohindera Bolero SLE BSIV खरीदने हेतु ₹673440 की स्वीकृति प्रदान की गई थी जबकि नगर परिषद द्वारा गाड़ी खरीदने हेतु ₹726560 का भुगतान किया गया जोकि स्वीकृति राशि से ₹53120 अधिक था। इस के अतिरिकत गाड़ी खरीदने से संबधित बिल वाउचर के साथ सलग्न नही किया गया था तथा गाड़ी व अन्य समान प्राप्त करने की रिपोर्ट व प्रॉपर्टी रजिस्टर में प्रविष्टि भी दर्ज नहीं की गई थी। कार्यकारी अधिकारी से अंकेक्षण अधियाचना संख्या-183 दिनांक 26.7.2018 द्वारा उपरोक्त मामला अपेक्षित कार्रवाई हेतु ध्यानार्थ लाया गया था लेकिन अंकेक्षण समाप्ति तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई । अत: वांछित अभिलेख आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापना हेतु प्रस्तुत करने के साथ-साथ स्वीकृति से अधिक किए गए भुगतान के संदर्भ में स्थिति स्पष्ट की जाए व इसे सक्षम

अधिकारी से सशोधित कार्योतर स्वीकृति लेकर नियमित करवाया जाए तथा कृत कारवाई से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

13 सरकार द्वारा अनुमोदित दर संविदा की अपेक्षा खुले बाज़ार से ₹0.60 लाख का फर्नीचर खरीदना

विस्तृत अंकेक्षण हेतु चयनित माह 02/2018 के भुगतान वाउचर संख्या 25, दिनांक 6.2.18 ₹59720 की जांच करने पर पाया गया कि नगर परिषद कार्यालय हेतु स्थानीय मार्केट से विभिन्न प्रकार का फर्नीचर खरीदा गया था जब कि नियमानुसार फर्नीचर व अन्य सामान हि०प्र सरकार द्वारा अनुमोदित रेट कंट्रेक्ट वाली फर्म से ही खरीदा जाना अपेक्षित था। अंकेक्षण में यह भी पाया गया कि उपरोक्त फर्नीचर माह 2/2016 से माह 6/2016 के दौरान M/s Naresh Steel Furniture & Agri-implement सुंदरनगर से विभिन्न बिलों द्वारा खरीदा गया था जब कि फ़र्म को भुगतान चैक संख्या 776558 दिनांक 6.2.2018 द्वारा एक वर्ष की अवधि उपरांत किया गया था। कार्यकारी अधिकारी से अंकेक्षण अधियाचना संख्या-184 दिनांक 26.7.2018 द्वारा उपरोक्त मामला वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु ध्यानार्थ लाया गया था लेकिन अंकेक्षण समाप्ति तक कोई भी प्रत्युतर प्राप्त नहीं हुआ। अत: उपरोकत अनियमितता का पूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुए उक्त वर्णित फर्नीचर व अन्य सामान की खरीद को सक्षम अधिकारी से कार्योतर स्वीकृति लेकर नियमित करवाया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

14 Energy Efficiency Service Ltd ,New Delhi को किए गए ₹2.53 के भुगतान से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण को प्रस्तुत न करना

विस्तृत अंकेक्षण हेतु चयनित माह 2/2018 के व्यय की जांच करने पर पाया गया कि M/SEnergy Efficiency Service Ltd ,New Delhi को स्ट्रीट लाइट के रख-रखाव हेतु वाउचर सं० 51 दिनांक 22.2.2018 द्वारा ₹253263 का भुगतान किया गया था । कार्यकारी अधिकारी को अंकेक्षण अधियाचना-188 दिनांक 3-8-2018 द्वारा उपरोक्त फ़र्म को अवधि 1.4.2016 से 31.3.2018 तक स्ट्रीट लाइट के रख-रखाव हेतु किए गए कुल भुगतान व माहवार की गई स्ट्रीट लाइट मुरम्मत का ब्यौरा तथा फ़र्म के पक्ष में हि प्र सरकार द्वारा अनुमोदित एग्रीमेंट व शर्तों की प्रति प्रस्तुत करने के लिए अनुरोध किया गया था लेकिन अंकेक्षण समाप्ति तक वांछित सूचना/अभिलेख अंकेक्षण को उपलब्ध नहीं करवाया गया जिसके अभाव में वर्णित भुगतान का पूर्ण अंकेक्षण सम्भव न हो सका। अत: उपरोक्त मामले मे स्थिति स्पष्ट

करते हुए वांछित अभिलेख आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापना हेतु प्रस्तुत किया जाना सुनिशित किया जाए।

15 M/s ZontaInfratech Co. को मॉडर्न भूमिगत कूड़ादान स्थापित करने/वाहन हेतु प्रदत अग्रिम ₹201.97 लाख का समायोजन व अन्य सम्बन्धित अभिलेख को प्रस्तुत न करना

विस्तृत अंकेक्षण हेतु चयनित माह 2/2018 के व्यय की जांच करने पर पाया गया कि M/s ZontaInfratech Co. को मॉडर्न भूमिगत कूड़ादान स्थापित करने हेतु वाउचर संख्या 28 दिनांक 6.2.2018 व वाउचर संख्या 57 दिनांक 6.2.2018 द्वारा उनके बिल संख्या ZPLI/B1/0-1103/16-17/-05 दिनांक 28-3-2017 ₹20814223 के विरुद्ध ₹20196910 की अग्रिम राशि का भुगतान किया गया था। कार्यकारी अधिकारी को अंकेक्षण अधियाचना संख्या -189 दिनांक 3-8-2018 द्वारा वर्णित अग्रिम राशि के समायोजन, हि प्र सरकार द्वारा अनुमोदित एग्रीमेंट व शर्तों की प्रति, भूमिगत डस्ट्बिन/ वाहन स्थापन रिपोर्ट व सम्पत्ति रजिस्टर में प्रविष्टि इत्यादि अभिलेख/सुचना प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था लेकिन अंकेक्षण समाप्ति तक वांछित सूचना/अभिलेख उपलब्ध नहीं करवाई गई जिसके कारण वर्णित भुगतान का पूर्ण अंकेक्षण सम्भव न हो सका। अत: उपरोक्त मामले मे स्थिति स्पष्ट करते हुए वांछित अभिलेख आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापना हेतु प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

16 लोक संपर्क विभाग हिमांचल प्रदेश के माध्यम की अपेक्षा सीधे तौर पर समाचार पत्र में दिए गए विज्ञापन पर ₹0.11 लाख का अनियमित व्यय

विस्तृत अंकेक्षण हेतु चयनित माह 12/2016 व 10/2017 के व्यय वाउचर संख्या 51 दिनांक 20.12.2016 ₹5040 व वाउचर संख्या 50 दिनांक 22.2.2018 ₹6000 की जांच करने पर पाया गया कि नगर परिषद द्वारा उक्त व्यय हिमांचल प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशानुसार विज्ञापन DAVP दरों पर हिमांचल लोक संपर्क विभाग के माध्यम से छपवाए जाने की अपेक्षा सीधे विज्ञापन को उच्च दरों पर छपवाने हेतु किया गया था जो की सरकार के आदेशों की अवहेलना है। अत: उक्त अनियमितता को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में सरकार के निर्देशानुसार ही विज्ञापन लोक सम्पर्क विभाग के माध्यम से छपवाया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा कृत कारवाई से अंकेक्षण का अवगत करवाया जाए।

17 विज्ञापनों का उचित अभिलेख रख-रखाव न करना व ₹0.93 लाख के बिलों का सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से समय पर भुगतान न करना

विस्तृत अंकेक्षण हेतु चयनित माह 2/2018 के भुगतान वाउचरों की जाँच करने पर पाया गया कि नगर परिषद द्वारा गिरिराज समाचार पत्र मे अवधि 7-3-2014 से 27-7-2017 तक ₹93202 के विभिन्न प्रकार के विज्ञापन छपवाए थे जिन का भुगतान वाउचर सं0 47 दिनांक 17-2-18 द्वारा लगभग 1 से 4 वर्षो के उपरान्त किया गया था किन्तु ऐसे belated भुगतान से पूर्व सक्षम अधिकारी से स्वीकृति ली जानी अपेक्षित थी जोकि नहीं ली गई थी। इस के अतिरिक्त उक्त विज्ञापनों की प्रति व विज्ञापन रजिस्टर मे लेखांकन भी नहीं किया गया था। उक्त विज्ञापन बिलों का अभिलेख न रखने , समय पर भुगतान न करने व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति बिना भुगतान करने का मामला अंकेक्षण अधियाचना सं 174 दिनांक 21-7-2018 द्वारा कार्यकारी अधिकारी के ध्यान मे लाया गया था लेकिन अंकेक्षण समाप्ति तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। अत: इस बारे में स्थिति स्पष्ट करते हुए नगर परिषद द्वारा दिये गए विज्ञापनों का उचित अभिलेख रखना सुनिश्चित किया जाए व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से उपरोक्त अनियमिता को नियमित करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

18 विभिन्न गाड़ियों के टायर पंक्चर पर ₹0.06 लाख का कालातीत भुगतान बिना सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के करना

विस्तृत अंकेक्षण हेतु चयनित माह 02/2018 के भुगतान बिलों की जाँच करने पर पाया गया कि नगर परिषद की विभिन्न गाड़ियों मे अवधि 19-1-16 से 17-1-17 तक M/s. नरेश औटो सेंटर से ₹6300 के टायर पंकचर लगवाये गए थे जिनका भुगतान वाउचर सं 76 दिनांक 28-2-2018 के द्वारा लम्बे अंतराल के बाद एक मुश्त में किया गया जबकि नियमानुसार फुटकर खर्च का भुगतान समय-2 पर तुरन्त किया जाना अपेक्षित था। उपरोक्त के अतिरिक्त भुगतान की सक्षम अधिकारी की स्वीकृति, संबन्धित फर्म की भुगतान की पावती व संबन्धित गाड़ियों की लॉगबुक / मुरम्मत रजिस्टर मे लेखांकन / सत्यापन किया भी नहीं पाया गया जोकि गम्भीर अनियमितता है। उक्त मामला अंकेक्षण अधियाचना सं 175 दिनांक 21-07-2018 द्वारा कार्यकारी अधिकारी के ध्यान मे उचित कारवाई करने हेतु लाया गया था लेकिन अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गयी। अत: उपरोक्त बारे पूर्ण छानबीन उपरान्त वस्तु

स्थिति स्पष्ट करते हुए नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

19 ठेदेदार को निर्माण कार्य C/o C.C.I. Pavement, suket shopping complex (1st& final bill) में ₹0.30 लाख का अधिक भुगतान

उपरोक्त निर्माण कार्य के वाउचर सं 30 दिनाँक 16-12-16 का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि श्री राकेश कुमार सविदाकार को गणना की त्रुटि के कारण निम्न विवरनानुसार ₹29967 का अधिक भुगतान किया गया था जोकि गम्भीर वितीय अनियमिता है । इस सन्दर्भ में वस्तु स्थिति स्पष्ट करने व अधिक भुगतान राशि की उचित स्त्रोत से वसूली करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना 177 दिनांक 21-7-2018 द्वारा प्रकरण कार्यकारी अधिकारी के ध्यान मे लाया गया था लेकिन अंकेक्षण समाप्ति तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई । अत: वर्णित अनियमितता का पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा अधिक भुगतान ₹29967 की उचित स्त्रोत से वसूली सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए : –

कार्य मद सं0	कार्य मद का नाम	देय भुगतान राशि (₹)	वास्तविक भुगतान राशि (₹)	अधिक भुगतान राशि (₹)
4	P&L 1:2:4 C.C.I 20mm Mb 167 P– 26	14.27x4300 = 91328	14.27x4300 = 61361	29967

20 गणना में त्रुटि के कारण विभिन्न निर्माण कार्यों में सविदाकारों को ₹0.04 लाख का अधिक भुगतान

विस्तृत अंकेक्षण हेतु चयनित माह 12/2016 व 02/2018 के दौरान भुगतान किए गए विभिन्न निर्माण कार्यों बिलों का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि गणना में त्रुटियों के कारण ठेकेदारों को निम्नविवरणानुसार `₹4418 का अधिक भुगतान किया गया था जिस की उचित स्त्रोत से वसूली करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना 180 दिनांक 21-7-2018 द्वारा यह प्रकरण कार्यकारी अधिकारी के ध्यान मे लाया गया था लेकिन अंकेक्षण समाप्ति तक कोई भी कारवाई नहीं की गई । अत: वर्णित अनियमितता का या तो पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा अधिक भुगतान राशि की उचित स्त्रोत से वसूली सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए : –

क्रम सं0	कार्य का नाम / सविन्दाकार का नाम /	कार्य मद का नाम	गणना जो की गई	वास्तविक गणना	अधिक मात्रा	दर (₹)	अधिक भुगतान

	माप पुस्तिका सं						(₹)
1	Restoration of path N.H. to Pradeepgupta W. NO. 9 M.B. No 161 P-92	P&L C.C. 1.2.4.	2(1.0X.1X.08) = 0.16 cum	0.O16 cum	0.144 cum	4200 per cum	605
			1X1 (.75X.25X .42+.12) / 2 = 0.51 cum	.051	0.459 cum	4200 per cum	1928
2	Development of slum area IHSDP MB 164 P-10	Exavation in dumping garbage garbage yard by mech- means .	10X2.28 = 28	22.80	5.20	57	296
3	Development of slum area IHSDP W.No –6 (4th running bill) MB 151 P-25	Providing form work with m.s. steel plated 3.15 mm in vertival surface	1x3.7x .15+.35 / 2 = .925	1.85 m2	0.925 m2	150 per m2	139
4	Development of slum area IHSDP W.No –6 (4th running bill) MB 151 P-26	P/L C.C.I. 1:5:10 With 15% plum	4.1x.75+.60x1.4 / 2 = 3.87	4.45 cum	0.58 cum	2500 per cum	1450
						कुल योग	**₹4418**

21 सक्षम अधिकारी की स्वीकृति को avoid करने हेतु एक ही निर्माण कार्य को विभाजित करके कार्यान्वित करवाना

विस्तृत अंकेक्षण हेतु चयनित मासों के निर्माण कार्यों बिलों का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्नलिखित निर्माण कार्यों को छोटे–2 भागों में विभाजित करके आंकलन करवाने व अलग -2 टेण्डर जारी करके सविदाकारों से निष्पादित करवाया गया था जो कि नियमानुसार सही नहीं है क्योंकि इन निर्माण कार्यों का एक ही शीर्ष होने के कारण सम्पूर्ण निर्माण कार्य का एक ही आंकलन तैयार करके सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से एक ही टेण्डर करवाया जाना चाहिए था परन्तु ऐसा न करने से प्रतीत होता है कि उच्च सक्षम अधिकारी की स्वीकृतियों से बचने (Avoid) व संविदाकारों को अनुचित लाभ पहुचाने हेतू ही इन निर्माण कार्यों को छोटे–2 भागों में विभाजित करके नगर परिषद स्तर पर ही स्वीकृत किया गया था जोकि गम्भीर अनियमितता है जिसका या तो पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा इसे सक्षम

अधिकारियों की स्वीकृति प्राप्त करके नियमित किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए :–

क्रम सं0	**कार्य का विवरण व सविन्दाकार का नाम**	**वाउचर व दिनांक**	**कुल भुगतान (₹)**	**कार्य आबंटन पत्र सं0**	**आबंटित राशि (₹)**
1	C/o Suket shopping complex Sh. Rakesh kumar	26 , 12/2016	131649	M.C. SNR-1673 DT. 13-7-2015.	136648
2	C/o Benches & Providing Semi circular Pipe. Sh. Rakesh Kumar	27 12/2016	43214	M.C. SNR-1673 DT. 13-7-2015.	43214
3	C/o C.C.I. Pavement of court yard Phase 4 Sh. Rakesh kumar	28 12/2016	181988	M.C. SNR-4869 DT. 20-2-2016.	140800
4	C/o C.C.I. Pavement of court yard Phase 3 Sh. Rakesh kumar	29 12/2016	113541	M.C. SNR-4868 DT. 20-2-2016.	103950
5	C/o C.C.I. Pavement of court yard Phase 2 Sh. Rakeshkumar	30 12/2016	137712	M.C. SNR-4867 DT. 20-2-2016.	118764
6	C/o C.C.I. Pavement of court yard Phase 1 Sh. Rakesh kumar	31 12/2016	102000	M.C. SNR-4866 DT. 20-2-2016.	102936

22 निर्माण कार्य विलम्ब से पूर्ण करने पर आबंटन पत्र की शर्तनुसार ठेकेदार से देय दण्ड राशि ₹0.04 लाख की वसूली न करना

विस्तृत अंकेक्षण हेतु चयनित माह 12/2016 व 02/2018 के दौरान भुगतान किए गए निर्माण कार्य बिलों की जांच करने पर पाया गया कि **परिशिष्ट (छ)** में वर्णित प्रकरणों में सविन्दाकारों द्वारा निर्धारित समय अवधि में निर्माण कार्य पूर्ण नहीं किए गए थे । निर्माण कार्य विलम्ब से पूर्ण करने पर न तो ठेकेदारों से कार्य आबंटन पत्र की शर्त अनुसार देय दण्ड की वसूली की गई थी और न ही सक्षम अधिकारी द्वारा कार्य पूर्ण करने हेतु नियमानुसार समय अवधि की बढ़ोतरी ही प्रदान की गई थी I अतः वर्णित अनियमितता का या तो नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा कार्य आबंटन पत्र की शर्तानुसार निधारित दर से दण्ड

राशि ₹4105 की वसूली करके नगर परिषद के खाते में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए और अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

23 सविन्दाकर से बिक्री कर ₹500 की कम वसूली करना

विस्तृत अंकेक्षण हेतु चयनित माह 12/2016 के दौरान किए गए निर्माण कार्य "A/R&M/OMCGarbage dumping site" के 1st&finalBill का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि सविन्दाकार को भुगतान करते समय निम्न विवरणनुसार बिक्री कर की कम कटौती की गयी थी जोकि अनियमित है I अतः वर्णित अनियमितता का या तो नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा कम कटौती राशि की उचित स्त्रोत से वसूली करके राजकीय कोष में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए :-

क्रम सं0	निर्माण कार्य व सविन्दकार का नाम	भुगतान की गई राशि (₹)	की दर से बिक्री कर जो काटा गया (₹)	3% बिक्री कर जो काटा जाना चाहिए था(₹)	कम काटा गया बिक्रीकर (₹)
1	A/R&M/OMCGarbage dumping site के 1 st& final Bill. M.B. P – 20 Sh. Suresh kumar	257495	7225	7725	500

24 विभिन्न निर्माण कार्यों को भण्डार से जारी सीमेंट का अभिलेख अंकेक्षण को प्रस्तुत न करना

विस्तृत अंकेक्षण हेतु चयनित माह 12/2016 व 2/2018 के दौरान भुगतान किए गए निर्माण कार्य बिलों का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्नलिखित निर्माण कार्यों को विभागीय भण्डार से सीमेंट जारी किया गया था परन्तु उससे सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके कारण सीमेंट व इसकी वसूली का पूर्ण अंकेक्षण सम्भव न हो सका अतः अपेक्षित अभिलेख आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापना हेतु प्रस्तुत किया जाना सुनिशिचत किया जाए :-

Vr. no.	Date	Name of work	Indent no.	Date	Cement issued	Cement Transferred

22	15.12.2016	C/o Road from BBMB to village Tunahi	21/42 --- 33/43 -------	16.5.2016 ----- 22.10.2016 --------	100 11 20 ---	19
23	15.12.2016	C/o Road from Sh.N.K. Kapoor house	24/37 --------	5.11.2015 ---------------	100 -------	10
24	15.12.2016	C/o semi-circular pipe drain from Maloh to Golbag	30/41 --------	23.2.2016 ------------	40 -------	18
25	15.12.2016	Restoration of courtyard Balmiki Temple	21/42 --------	16.5.2016 ------------	100 --------	11
27	16.12.2016	C/o Benches	43/38	Nil	20	
29	16.12.2016	C/o CCI Pavement phase-3	2/43	15.7.2016	100	
31	16.12.2016	C/o CCI Pavement phase-1	50/41 25/42	11.3.2016 27.5.2016	100 50	
64	27.12.2016	Repair& restoration of public toilet	35/42	27.5.2016	25	
65	28.12.2016	c/o semi circular pipe drain from GSSS Girls	------	--------------	50	
82	28.12.2016	C/o Retaining wall near h/o Bholu Ram	-------	-----------	-----------	9
84	28.12.2016	R/O Two room GSSS Boys	--------	------------	--------	10
85	28.12.2016	Development of slum area under IHSDP	------	------------	--------	31
59	24.2.2018	Restoration of path from h/o Surender	37/45 8/46	4-8-2017 7.10.2017	60 50	

25 सीमेंट क्रय/जारी करने का अभिलेख अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत करना

नगर परिषद के अवधि 1.4.2016 से 31.3.2018 तक के सीमेंट स्टॉक रजिस्टर का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि नगर परिषद द्वारा विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु अवधि 23.9.2016 से 31.3.2018 तक सीमेंट के कुल 16333 बैग क्रय/प्राप्त किए गए थे जिनके क्रय प्राप्ति से सम्बन्धित बिल/ GRS/अभिलेख अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए। इसी प्रकार अवधि 1.4.2016 से 22.9.2016 तक का सीमेंट स्टोक रजिस्टर व प्राप्ति/जारी करने का अभिलेख भी अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। इस के अतिरिकत चयनित माह 12/2016 के दौरान हि प्र नागरिक आपूर्ति निगम से निम्नलिखित वाउचरों द्वारा प्रदान अग्रिम राशियों के समायोजन व प्राप्त सीमेंट का अभिलेख भी अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। उक्त वर्णित अभिलेख के अभाव में सीमेंट स्टॉक का पूर्ण अंकेक्षण सम्भव न हो सका । अत: सीमेंट से संबधित वांछित अभिलेख आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापना हेतु प्रस्तुत किया जाना सुनिशित किया जाए : –

Vr. no.& Date	**Name of firm**	**Amount (₹)**	**Remarks**
7 , 6.12.2016	H.P.C.S LTD.	260754	समायोजन बिल व प्राप्ति का अभिलेख
17,3.2.2018	H.P.C.S LTD.	355558	यथोपरि
53, 22.2.2018	H.P.C.S LTD.	355558	यथोपरि

26 विभिन्न निर्माण कार्यों बिलों से काटे गए श्रमकर ₹3.19 लाख को सम्बन्धित बोर्ड में जमा न करना

विभिन्न निर्माण कार्यों के बिलों का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि नगर परिषद द्वारा विभिन्न निर्माण कार्यों के बिलों से बिल्डिंग एंड अदर कंसट्रक्शन वर्कर्स वैलफेयर सेस एक्ट 1996 के प्रावधानों के अन्तर्गत 1% की दर से **₹**319297 के श्रमकर की कटौती की गई थी, जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट –(ज)** मे दिया गया है, परन्तु उक्त राशि को संबन्धित विभाग मे जमा नहीं किया गया है जोकि गम्भीर अनियमितता है । अत: उक्त अनियमितता को उच्च अधिकारियों के विशेष ध्यान मे आगामी आवश्यक कारवाई हेतु लाया जाता है ताकि भविष्य में किसी भी दण्डात्मक कार्यवाही से होने वाली वितीय हानि की सम्भावना को नकारा जा सके।

27 विना निविदा आमंत्रित किए ₹15000 का भुगतान करना

विस्तृत अंकेक्षण हेतु चयनित माह 12/2016 के दौरान किए गए भुगतान बिलों का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि M/s. NeelkamalBusinessProcesscentreMandi को वाउचर सं 43 दिनांक 16-12-2016 द्वारा ₹15000 का भुगतान अवधि 2009-10 से 2014-15 तक की आयकर व अन्य रिटर्न भरने व अपलोड करने के लिए किया गया था। नगर परिषद द्वारा आयकर व अन्य रिटर्न स्वयं कार्यालय स्तर पर भरने की अपेक्षा बाहर से करवाने का औचित्य स्पष्ट करने व उपरोक्त कार्य को बिना निविदाओं के निष्पादन करवाने बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु कार्यकारी अधिकारी से अंकेक्षण अधियाचना संख्या 170 दिनांक 21.7.2018 द्वारा अनुरोध किया गया था लेकिन अंकेक्षण समाप्ति तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई।अत: उपरोकत अनियमितता के बारे में नियमानुसार स्थिति सपष्ट करते हुए उक्त वर्णित व्यय को सक्षम अधिकारी की कार्योतर स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा कृत कारवाई से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

28 नगर परिषद निधि से पेंशन निधि को ₹55.00 लाख का अनियमित हस्तांतरण करना

अंकेक्षण अवधि के दौरान नगर परिषद द्वारा पेन्शन निधि की रोकड़ वही का रख रखाव नहीं किया गया था जबकि पेन्शन निधि का अलग बैंक खाता संख्या (ओबीसी)1700 रखा गया था। पेन्शन निधि मे पर्याप्त राशि न होने पर सेवानिवृत कर्मचारियों को पेन्शन का भुगतान करने के लिए माह 6/2016 में ₹4000000 व 5/2017 में ₹1500000 का भुगतान नगर परिषद निधि से राशि हस्तांतरित करके किया गया था जोकि अनियमित है क्योंकि यह भुगतान पेंशन निधि से ही किया जाना अपेक्षित है। अत: वर्णित अनियमितता का नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुए इसे उच्च सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण वापिस परिषद निधि को किया जाए तथा भविष्य में पैंशन निधि की रोकड़ बही का निर्माण व उचित रख रखाव भी किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपलना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

29 (i) श्री नारायण दास लिपिक (अनुबन्ध आधार पर) को गलत दर से बार्षिक बढौतरी प्रदान करने के कारण ₹341 के वेतन का अधिक भुगतान

नगर परिषद के कर्मचारियों की सेवा पंजिकाओं का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि श्री नारायण दास लिपिक (अनुबन्ध आधार पर) को 24-7-2015 को ₹7810 प्रतिमाह पर नियुक्त

किया गया था तथा एक वर्ष का कार्यकाल पूर्ण करने पर देय वार्षिक बढौतरी प्रदान करते समय rounding off की त्रुटि के कारण निम्न प्रकार से उन्हें ₹341 के वेतन का अधिक भुगतान किया गया था जोकि अनियमित है क्योंकि वित विभाग के पत्र दिनांक 22-11-2013 द्वारा जारी स्पष्टीकरण के अनुसार बार्षिक बढ़ोतरी प्रारम्भिक वेतन पर ही दी जानी अपेक्षित थी। अत; अधिक किए गए भुगतान को या तो न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा राशि की उचित स्त्रोत से बसूली करके अनुपालना से अकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

Period	**Drawn**	**Due**	**Diff.**	**Month**	**Excess paid**
24-7-16 to23-7-17	8050	8044	6	12	72
24-7-17 to 23-7-18	8300	8278	22	12	264
24-7-18 to 31-7-18	8550	8512	38	8 दिन	10
		कुल भुगतान			**₹346**

29 (ii) वेतन बिल से ऑडिट रिकवरी की राशि ₹0.14 लाख को कर्मचारियों के सीपीएफ खातों में अनियमित रूप से जमा करना

नगर परिषद के कर्मचारियों के माह 12/2016 के दौरान भुगतान किए गए वेतन के वाउचर संख्या 3 का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि विभिन्न कर्मचारियों के वेतन बिल से अंकेक्षण द्वारा अधिक पाई गई राशियों की माह वार वसूली की गई थी किन्तु उक्त वसूली गई राशियों को निम्न विवरणानुसार सम्बन्धित कर्मचारियों के सीपीएफ़ खातों में अनियमित रूप से जमा कर दिया गया था। अत: वर्णित अनियमितता का नियमानुसार औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा वर्णित राशि की उचित स्त्रोत से वसूली सुनिश्चित करके परिषद निधि की भरपाई की जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए:-

S.No.	**Name of Employee**	**Designation**	**Amount (₹)**
1	Sh. Balbir Chand Soni	Draughtman	1500
2	Smt. Meera Devi	Jr. Asstt.	1000
3	Sh. Hem Raj	Masson	500
4	Sh. Rooplal	Masson	500
5	Sh. Dev Raj	Beldar	500
6	Sh. Uttam	Beldar	500

7	Sh. Rooplal	Beldar	500
8	Sh. RatanBhagat	Beldar	500
9	Sh. Mordwaj	Beldar	500
10	Sh. Gulab Singh	Beldar	500
11	Sh. Surender Singh	Beldar	500
12	Sh. Hukam Chand	Beldar	500
13	Sh. Tara Chand	Beldar	500
14	Sh. Kanshi Ram	Beldar	500
15	Sh. Thakur Dass	Beldar	500
16	Smt. Kagdoo	Beldar	500
17	Sh. Karam Chand	Beldar	500
18	Sh. Gurdass	Beldar	1500
19	Smt. Santosh	Sweeper	500
20	Sh. Chaman	Sweeper	500
21	Sh. Fagu Ram	Sweeper	500
22	Sh. Sudhir Singh	Sweeper	500
		Total	**₹13500**

30 नगर परिषद द्वारा विभिन्न वाहनों की मासिक औसत का सत्यापन व पुरानी गाड़ियों की निलामी नहीं करना

नगर परिषद के विभिन्न वाहनों की अवधि 1-4-16 से 31-3-18 तक की लाग बुकों का जांच करने पर पाया गया कि नगर परिषद के वाहनों की मासिक औसत का सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापन नहीं किया गया था तथा कई प्रकरणों मे लॉग बुक को संबन्धित चालक / इंचार्ज द्वारा हस्ताक्षरित भी नहीं किया गया था । अत: अपेक्षित कार्रवाई करके वाहनों की लॉग बुक का नियमानुसार रखरखाव सुनिश्चित किया जाए । इसके अतिरिक्त अंकेक्षण में यह भी पाया गया कि निम्नलिखित वाहनों को नगर परिषद द्वारा उपयोग नहीं किया जा रहा था । अत: इस

सन्दर्भ में स्थिति स्पष्ट करते हुए पुराने पड़े वाहनों की नियमानुसार नीलामी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए : –

Sr. No	Vehicle No	Type
1	HP-31-3216	DUMPER
2	HP-14-3785	DUMPER
3	HP-31-4480	VAN
4	HP-31-9768	AUTO
5	HP-31-3217	TIPPER

31 वेतन बिल रजिस्टर / E.C.R. का लेखांकन न करना व वेतन बिलों में बेसिक पे व ग्रेड पे को अलग से न दर्शाना

विस्तृत अंकेक्षण हेतु चयनित माह 12/2016 व 02/2018 के वेतन बिलों का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि नगर परिषद के कर्मचारियों के वेतन से संबन्धित भुगतान/दावों का इसटेबलिशमेंट चैक रजिस्टर / वेतन बिल रजिस्टर मे माह वार लेखांकन नहीं किया गया था तथा वेतन बिलों मे मूल वेतन व ग्रेड पे को इकट्ठा ही दर्शाया गया था। उक्त अनियमिता के बारे में स्थिति स्पष्ट करने व उचित अभिलेख न रखने का मामला अंकेक्षण अधियाचना संख्या 173 दिनांक 21-07-2018 द्वारा कार्यकारी अधिकारी के ध्यान मे लाया गया था लेकिन अंकेक्षण समाप्ति तक कोई भी कारवाई नहीं की गई। अत: कर्मचारियों के वेतन से संबन्धित भुगतानों का वेतन बिल रजिस्टर/ (ECR) में उचित अभिलेख रखना सुनिश्चित किया जाए व अनुपलना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

32 बिजली खपत बिलों की माह वार मीटर रीडिंग का अभिलेख न रखना

अंकेक्षण हेतु चयनित माह 12/2016 व 02/2018 के व्यय वाउचर संख्या 14 दिनांक 13-12-16 ₹212752, वाउचर सं 58 दिनांक 26-12-16 ₹169607 व वाउचर संख्या 48 दिनांक 19-2-2018 ₹246187 का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि नगर परिषद के विभिन्न बिजली के मीटरों के द्वारा खपत की गयी बिजली की मीटर रीडिंग का बिजली रजिस्टर मे लेखाकन नहीं किया गया था। बिजली खपत का माह वार ब्यौरा न रखने के कारण बिजली खपत की गत माहों से तुलनात्मक जांच नहीं की जा सकी। इस के अतिरिकत वाउचर संख्या 48 द्वारा भुगतान किए गए

बिजली खपत बिलों में निम्न विवरनानुसार ₹1024 का पिछले माह के बकाया का भुगतान किया गया था। वर्णित अनियमितताएं अंकेक्षण अधियाचना संख्या 171 दिनांक 21-7-2018 द्वारा कार्यकारी अधिकारी के ध्यान मे वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु लाई गई थी लेकिन अंकेक्षण की समाप्ति तक बिजली खपत बिलों का माहवार अभिलेख / रजिस्टर अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। अत: उचित अभिलेख न रखने व गत माह की बकाया ₹1024 का भुगतान करने बारे वस्तु स्थिति स्पष्ट करते हुए भविष्य मे बिजली खपत का माहवार अभिलेख रखना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

Meter No	**MONTH**	**Current Month Bill (₹)**	**Arrear of Previous Month (₹)**	**Total (₹)**
20141	01/18	4113	75	4188
16402	01/18	353	10	363
16403	01/18	1256	32	1288
16406	01/18	4673	130	4803
16408	01/18	179	13	192
16397	01/18	5070	207	5277
16407	01/18	2635	100	2735
20610	01/18	175	457	632
		कुल	**₹1024**	

33 अग्रिम राशि के समायोजन हेतु शेष राशि ₹250 की रोकड़ बही मे सत्यापन करवाने बारे

विस्तृत अंकेक्षण हेतु चयनित माह 02/2018 के व्यय वाउचर संख्या 12, दिनांक 2.2.18 ₹10000 का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि श्री नारायण दास (लिपिक) को स्टेशनरी व अन्य समान खरीदने हेतु ₹10000 का अग्रिम प्रदान किया गया था। उक्त अग्रिम के समायोजन बारे कार्यकारी अधिकारी से अंकेक्षण अधियाचना संख्या 182 दिनांक 26.7.18 द्वारा स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था जिसके प्रत्युतर में समायोजन हेतु शेष ₹250 को G-8 संख्या 34378/344 दिनांक 1-8-2018 द्वारा परिषद में जमा करवा दिया गया। अत: इस राशि की रोकड़ बही में प्रविष्टि करके सत्यापन आगामी अंकेक्षण के दौरान करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

34 बिजली उपकर व शराब उपकर की प्राप्ति का उचित अभिलेख का सरंक्षण न करना

नगर परिषद द्वारा वर्ष 2017-18 का शराब उपकर प्राप्त नहीं किया गया था इस के अतिरिक्त संबन्धित अभिलेख के अवलोकन पर पाया गया कि परिषद द्वारा बिजली व शराब उपकर के मांग व प्राप्तियों के अभिलेख का संधारण भी नहीं किया जा रहा था जिसके कारण यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता कि कुल कितनी राशि देय थी, कितनी प्राप्त की गई व कितनी बकाया थी। अतः अपेक्षित अभिलेख के सरंक्षण न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व भविष्य मे उचित अभिलेख का रख रखाव करने के अतिरिक्त सम्बन्धित विभागों से देय राशि की वसूली करना सुनिश्चित किया जाए और अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

35 वार्ड संख्या 10 , 11 व 7 के साफ सफाई कार्य के ठेका आबंटन में ₹1.85 लाख की सम्भावित हानि

नगर परिषद के अवधि 1-6-16 से 31-5-17 तक के साफ सफाई ठेका आबंटन नस्तियों का अवलोकन करने पर पाया गया कि उपरोक्त कार्य के लिए कुल चार संविदाकारों ने दरें भरी थी जिन मे से श्री विजय कुमार की दर ₹1300000 न्यूनतम पाई गई थी। अंकेक्षण में पाया गया कि श्री विजय कुमार ने उक्त न्यूनतम दर पर बिना किसी लिखित आवेदन के कार्य करने से मना कर दिया तथा नगर परिषद ने द्वितीय न्यूनतम दर वाले सविन्दाकार श्री संजय कुमार को ₹1485000 मे कार्य का आबंटन कर दिया गया। फलस्वरूप नगर परिषद को ₹185000 (14.85 – 13) की हानि उठानी पड़ी। अत: सविन्दाकार श्री विजय कुमार द्वारा भरी गई न्यूनतम दर को बिना किसी ओचित्य के रद करने व उनकी G-8 संख्या 24858/241 दिनांक 26-5-16 द्वारा ₹35500 की जमा धरोहर राशि को जब्त न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

36 अंकेक्षण के दौरान ध्यान में लाई गई विभिन्न आपतियों का निपटारा न करना

विस्तृत अंकेक्षण हेतु चयनित माह 12/2016 व 2/2018 के दौरान भुगतान किए गए विभिन प्रकार के बिलों का अंकेक्षण करने पर विभिन्न प्रकार की लघु आपातियाँ पाई गई जिन का निपटारा करने के लिए कार्यकारी अधिकारी को अंकेक्षण अधियाचना संख्या-182 दिनांक 26.7.2018 द्वारा अनुरोध किया गया था। परन्तु निम्नलिखित आपतियों के संदर्भ में अपेक्षित अभिलेख की प्रस्तुति व निपटारा अंकेक्षण समाप्ति तक नहीं किया गया जोकि अनियमित है।

अत: वर्णित अनियमितताओं/आपतियों पर अपेक्षित कारवाई करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए:-

Vr. no	**Date**	**CB Page**	**Name of firm**	**Detail**	**Amount (₹)**	**Remarks/ Audit observations**
1	1.12.16	155	M/s Naresh steel furniture	Stool	1000	(i)Store entry not made& verified.
41	16.12.16	197	M/s Ramkrishan traders	Stationery items	23295	(i)stock entry in register not verified. (ii)quotation not attached.
44	16.12.16	199	P.S. Sain (Advocate)	Legal fees	11000	(i) Approval of rates by competent authority not shown.
47	19.12.16	07	HPSEB	Electricity bill	669	(i) Payment of Arrear of previous month Rs 591 to be justified (ii) Entry register
53	22.12.16	11	Shiv Traders	Water Heater	14850	(i) Entry on store register not found
54	22.12.16	11	M/s. J.J. Electrical	Room Heater	3270	(i) Store entry not made
61	27.12.16	21	M/s Jwala G Entt.	Momento	1155	(i) Entry in stock reg. entry not made
68	30.12.16	31	M/s Ruliya Ram &Mahaveer Prasad	Lock	360	(i) Entry in stock reg. not made
13	02.02.18	6	Uday Electrical	Electrical Material	15680	(i) Store entry in Register not made
58	23.2.18	34	Varun news agency	News paper	2735	(i)Entry of newspaper in register not made
61	26.2.18	36	M/s J D Trader	Bucket	990	(i) Entry in store register not shown
62	26.2.18	36	M/s Noble Enterprises	Matt. Etc	1872	(i) Entry in store register not

						shown
63, 64	26.2.18	36	HPSEB	New meter	1707	(i) Entry in consumed register not shown
65	27.2.18	38	P.S. Sain (Advocate)	Legal fees	24000	(i) Approval of rates (ii) Sanction of competent authority not shown
73	28.2.18	42	M/s N.N. Enterprises	Supply of computer & UPS	61548	(i) Vat bill not attached (ii)Quotation/RC Not attached.

37 विभिन्न अभिलेखो का रख-रखाव न करना व अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत न करना

नगर परिषद के लेखाओं अवधि 1-4-16 से 31-3-18 तक के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि परिषद के निम्नलिखित अभिलेखों का रख-रखाब नहीं किया गया था जिन के बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए व अभिलेखों को जांच हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए :–

(1) प्रतिभूति रजिस्टर / रोकड़ बही

(2) G-8 issue रजिस्टर

(3) शासकीय डाक टिकट खपत रजिस्टर

(4) अग्रिम रजिस्टर

(5) जीपीएफ़ / सीपीएफ़ लेजर

(6) cheque issue register

(7) Mobile tower fee register

(8) श्री रजिन्दर गुलेरिया (कनिष्ठ अभियंता) व श्रीमति मीरा देवी (कनिष्ठ सहायक) की सेवा पंजिका व निजी नास्ति प्रस्तुत नहीं की गई।

38 स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न करना

सम्बन्धित अभिलेख का अवलोकन करने मे पाया गया कि नगर परिषद द्वारा स्टॉक मे पड़े सामान की नियमानुसार समय–2 पर प्रत्यक्ष सत्यापना नहीं की गई थी जबकि हिमाचल प्रदेश वितीय नियमावली 1971 के नियम 15.17 के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष स्टॉक मे पड़े सामान की प्रत्यक्ष सत्यापना कारवाई जानी अपेक्षित है। अत: नियमों की अवहेलना करके प्रत्येक वर्ष प्रत्यक्ष सत्यापना न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व अविलंब प्रत्यक्ष सत्यापना करके अनुपलना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा भविष्य मे प्रत्येक वर्ष नियमित रूप से भण्डार की वस्तुओं की प्रत्यक्ष सत्यापना कारवाई जानी भी सुनिश्चित की जाए।

39 **लघु आपति विवरणिका :–** यह अलग से जारी नहीं की गयी है ।

40 **निष्कर्ष :–** नगर परिषद के लेखों मे नितांत सुधार की आवश्यकता है ।

हस्ता/–

(हेमराज भारद्वाज)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.
फोन नं0–0177–2620881

पृष्ठांकन संख्याः– V(46)/2011 फिन(एल0ए0) खण्ड–6-8166-8167, दिनांक 07.12.18
शिमला–171009.

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित है :–

पंजीकृत 1. कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद सुन्दरनगर, जिला मण्डी हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर अंकेक्षण की प्राप्ति के एक माह के भीतर इस विभाग को भेजें।

2. निदेशक, शहरी विकास हिमाचल प्रदेश शिमला–2. को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित गम्भीर अनियमितताओं पर सम्बन्धित सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिये निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

हस्ता/–

(हेमराज भारद्वाज)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

फोन नं0–0177–2620881

परिशिष्ट– "I"

(पैरा संख्याः 1(ग)

नगर परिषद सुन्दरनगर, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश के लेखाओं के अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन के अनिर्णीत पैरों की स्थिति

(क) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1988 से 3/1989

1.	पैरा 3	अनिर्णीत
2.	पैरा 5	अनिर्णीत
3.	पैरा 6	अनिर्णीत
4.	पैरा 7(i)	अनिर्णीत
5.	पैरा 7(ii)	अनिर्णीत
6.	पैरा 7(iiii)	अनिर्णीत
7.	पैरा 8	अनिर्णीत
8.	पैरा 9	अनिर्णीत
9.	पैरा 12	अनिर्णीत
10.	पैरा 13(ए)(i)	अनिर्णीत
11.	पैरा 13(ए)(ii)	अनिर्णीत
12.	पैरा 13(ए)(iii)	अनिर्णीत
13.	पैरा 13(बी)(i)	अनिर्णीत
14.	पैरा 13(बी)(ii)	अनिर्णीत
15.	पैरा 13(बी)(iii)	अनिर्णीत
16.	पैरा 13(ई)(ii)	अनिर्णीत
17.	पैरा 13(एफ)	अनिर्णीत
18.	पैरा 14(ए)	अनिर्णीत
19.	पैरा 14(बी)	अनिर्णीत
20.	पैरा 14(सी)	अनिर्णीत
21.	पैरा 14(डी)	अनिर्णीत
22.	पैरा 14(एफ)	अनिर्णीत
23.	पैरा 14(जी)	अनिर्णीत
24.	पैरा 14(एच)	अनिर्णीत
25.	पैरा 19	अनिर्णीत
26.	पैरा 22	अनिर्णीत

27.	पैरा 23	अनिर्णीत
28.	पैरा 24	अनिर्णीत
29.	पैरा 25	अनिर्णीत
30.	पैरा 26	अनिर्णीत
31.	पैरा 27	अनिर्णीत

(ख) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1989 से 3/1990

1.	पैरा 3	अनिर्णीत
2.	पैरा 5	अनिर्णीत
3.	पैरा 6(बी)	अनिर्णीत
4.	पैरा 7(i)	अनिर्णीत
5.	पैरा 7(ii)	अनिर्णीत
6.	पैरा 7(iii)	अनिर्णीत
7.	पैरा 7(iv)	अनिर्णीत
8.	पैरा 9	अनिर्णीत
9.	पैरा 10(i)	अनिर्णीत
10.	पैरा 10(ii)	अनिर्णीत
11.	पैरा 10(iv)	अनिर्णीत
12.	पैरा 10(v)	अनिर्णीत
13.	पैरा 10(viii)(ए)	अनिर्णीत
14.	पैरा 10(viii)बी)	अनिर्णीत
15.	पैरा 10(x)	अनिर्णीत
16.	पैरा 10(xii)	अनिर्णीत
17.	पैरा 10(xii)(2)	अनिर्णीत
18.	पैरा 10(xiii)(3)	अनिर्णीत
19.	पैरा 10(xiv)	अनिर्णीत
20.	पैरा 10(xv)	अनिर्णीत
21.	पैरा 10(xvi)	अनिर्णीत
22.	पैरा 10(xvii)	अनिर्णीत
23.	पैरा 10(xx)	अनिर्णीत
24.	पैरा 10(xxi)	अनिर्णीत
25.	पैरा 10(xxii)	अनिर्णीत
26.	पैरा 11(i)	अनिर्णीत
27.	पैरा 11(iii)	आंशिक निर्णीत
28.	पैरा 11(iv)	अनिर्णीत
29.	पैरा 11(v)	अनिर्णीत
30.	पैरा 11(vi)	अनिर्णीत
31.	पैरा 11(xii)	अनिर्णीत
32.	पैरा 11(xiii)	अनिर्णीत

33.	पैरा 12(i)	अनिर्णीत	
34.	पैरा 12(ii)	अनिर्णीत	
35.	पैरा 12(iv)	अनिर्णीत	
36.	पैरा 12(xiii)	अनिर्णीत	
37.	पैरा 12(xv)	अनिर्णीत	
38.	पैरा 12(xvi)(2)	अनिर्णीत	
39.	पैरा 12(xvi)(3)	अनिर्णीत	
40.	पैरा 12(xvi)(4)	अनिर्णीत	
41.	पैरा 12(xviii)	अनिर्णीत	
42.	पैरा 16(i)	अनिर्णीत	

(ग) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1990 से 3/1991

अवधि 4/1990 से 3/1991 तक का अंकेक्षण प्रतिवेदन अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया।

(घ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1991 से 3/1992

अवधि 4/1991 से 3/1992 तक का अंकेक्षण प्रतिवेदन अंकेक्षण में प्रस्तुत नही किया गया।

(ङ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1992 से 3/1993

1.	पैरा 3	अनिर्णीत	
2.	पैरा 10(क)	अनिर्णीत	
3.	पैरा 12(ख)	अनिर्णीत	
4.	पैरा 12(घ)	अनिर्णीत	(₹10000-adv. Sh. Jagdish Gupta, Retd. E.O.)
5.	पैरा 13(च)	अनिर्णीत	
6.	पैरा 13(छ)	अनिर्णीत	
7.	पैरा 13(ज)	अनिर्णीत	
8.	पैरा 13(झ)	अनिर्णीत	
9.	पैरा 13(ञ)	आंशिक निर्णीत	
10.	पैरा 14(क)	अनिर्णीत	
11.	पैरा 14(ख)	अनिर्णीत	
12.	पैरा 14(ग)(i)	अनिर्णीत	
13.	पैरा 14(ग)(ii)	अनिर्णीत	
14.	पैरा 14(ग)(iii)	अनिर्णीत	
15.	पैरा 14(ग)(iv)	अनिर्णीत	
16.	पैरा 14(ग)(v)	अनिर्णीत	
17.	पैरा 14(घ)	अनिर्णीत	
18.	पैरा 14(ङ)	अनिर्णीत	
19.	पैरा 15	अनिर्णीत	
20.	पैरा 16	अनिर्णीत	
21.	पैरा 17	अनिर्णीत	

22.	पैरा 18	अनिर्णीत
23.	पैरा 19	अनिर्णीत

(च) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1993 से 3/1996

1.	पैरा 3	अनिर्णीत
2.	पैरा 5	अनिर्णीत
3.	पैरा 9	अनिर्णीत
4.	पैरा 11(ख)	अनिर्णीत
5.	पैरा 13	अनिर्णीत
6.	पैरा 15(i)(क)	अनिर्णीत
7.	पैरा 15(ख)	अनिर्णीत
8.	पैरा 15(2)(i)	अनिर्णीत
9.	पैरा 15(2)(ii)	अनिर्णीत
10.	पैरा 15(4)(क)	अनिर्णीत
11.	पैरा 15(ग)	अनिर्णीत
12.	पैरा 15(6)	अनिर्णीत
13.	पैरा 15(ii)	अनिर्णीत
14.	पैरा 15(12(i)	अनिर्णीत
15.	पैरा 15(13)	अनिर्णीत
16.	पैरा 15(16)	अनिर्णीत
17.	पैरा 15(17)	अनिर्णीत
18.	पैरा 15(20)	अनिर्णीत
19.	पैरा 15(21)	अनिर्णीत
20.	पैरा 15(22)	अनिर्णीत
21.	पैरा 15(25)	अनिर्णीत
22.	पैरा 17	अनिर्णीत
23.	पैरा 20	अनिर्णीत
24.	पैरा 21(i)	अनिर्णीत
25.	पैरा 21(ii)	अनिर्णीत
26.	पैरा 21(iii)	अनिर्णीत
27.	पैरा 21(iv)	अनिर्णीत
28.	पैरा 21(v)	अनिर्णीत
29.	पैरा 21(vi)	अनिर्णीत
30.	पैरा 21(vii)	अनिर्णीत
31.	पैरा 21(viii)	अनिर्णीत

32.	पैरा 21(x)	अनिर्णीत
33.	पैरा 21(xi)	अनिर्णीत
34.	पैरा 21(xii)	अनिर्णीत
35.	पैरा 21(xiii)	अनिर्णीत
36.	पैरा 21(xiv)	अनिर्णीत
37.	पैरा 21(xv)	अनिर्णीत
38.	पैरा 21(xvi)	अनिर्णीत
39.	पैरा 22	अनिर्णीत

(छ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1996 से 3/2002

1.	पैरा 8	अनिर्णीत
2.	पैरा 9	अनिर्णीत
3.	पैरा 11	अनिर्णीत
4.	पैरा 13(क)	अनिर्णीत
5.	पैरा 13(ख)(3)	अनिर्णीत
6.	पैरा 14	अनिर्णीत
7.	पैरा 15(क)	अनिर्णीत
8.	पैरा 15(ख)	अनिर्णीत
9.	पैरा 19	अनिर्णीत
10.	पैरा 20(क)	अनिर्णीत
11.	पैरा 20(ख)	अनिर्णीत
12.	पैरा 21(क)	अनिर्णीत
13.	पैरा 21(ग)	अनिर्णीत
14.	पैरा 22(क)	अनिर्णीत
15.	पैरा 26	अनिर्णीत
16.	पैरा 27(क)	अनिर्णीत
17.	पैरा 27(ख)	अनिर्णीत
18.	पैरा 27(ग)	अनिर्णीत
19.	पैरा 27(घ)	अनिर्णीत
20.	पैरा 28(2)(क)	अनिर्णीत
21.	पैरा 28(2)(ख)	अनिर्णीत
22.	पैरा 28(6)	अनिर्णीत
23.	पैरा 28(9)	अनिर्णीत
24.	पैरा 28(15)	अनिर्णीत
25.	पैरा 28(17)	अनिर्णीत
26.	पैरा 28(19)	अनिर्णीत
27.	पैरा 28(21)	अनिर्णीत

28.	पैरा 29	अनिर्णीत
29.	पैरा 30(1)	अनिर्णीत
30.	पैरा 30(2)	अनिर्णीत
31.	पैरा 30(10)	अनिर्णीत
32.	पैरा 30(12)	अनिर्णीत
33.	पैरा 30(13)	अनिर्णीत
34.	पैरा 30(ए)	अनिर्णीत
35.	पैरा 30(ए)(3)	अनिर्णीत
36.	पैरा 31	अनिर्णीत
37.	पैरा 35(2)	अनिर्णीत
38.	पैरा 35(10)	अनिर्णीत
39.	पैरा 35(11)(क)	अनिर्णीत
40.	पैरा 35(11)(ख)	अनिर्णीत
41.	पैरा 35(11)(ग)	अनिर्णीत
42.	पैरा 35(11)(घ)	अनिर्णीत
43.	पैरा 35(11)(ड़)	अनिर्णीत
44.	पैरा 35(12)(क)	अनिर्णीत
45.	पैरा 35(12)(ख)	अनिर्णीत
46.	पैरा 35(13)(क)	अनिर्णीत
47.	पैरा 35(13)(ख)	अनिर्णीत
48.	पैरा 35(13)(ग)	अनिर्णीत
49.	पैरा 35(13)(घ)	अनिर्णीत
50.	पैरा 35(14)	अनिर्णीत
51.	पैरा 35(15)	अनिर्णीत
52.	पैरा 35(16)	अनिर्णीत
53.	पैरा 35(17)	अनिर्णीत
54.	पैरा 35(18)	अनिर्णीत
55.	पैरा 35(19)	अनिर्णीत
56.	पैरा 35(20)	अनिर्णीत
57.	पैरा 35(21)	अनिर्णीत
58.	पैरा 35(22)	अनिर्णीत
59.	पैरा 36(2)	अनिर्णीत

(ज) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2002 से 3/2007

1.	पैरा 4(xv)(क)	अनिर्णीत
2.	पैरा 4(xv)(ख)	अनिर्णीत
3.	पैरा 5(ii)	अनिर्णीत
4.	पैरा 6(ix)	अनिर्णीत

5.	पैरा 6(xi)	अनिर्णीत
6.	पैरा 6(xiii)	अनिर्णीत
7.	पैरा 6(xxiv)	अनिर्णीत
8.	पैरा 6(xxvi)	अनिर्णीत
9.	पैरा 6(xxix)	अनिर्णीत
10.	पैरा 6(xxxv)	अनिर्णीत
11.	पैरा 6(xxxix)	अनिर्णीत
12.	पैरा 7(i to xii)	अनिर्णीत
13.	पैरा 8(i to iv)	अनिर्णीत
14.	पैरा 9(i)	आंशिक निर्णीत

(झ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2007 से 3/2011

1.	पैरा 5	अनिर्णीत	
2.	पैरा 6.2	अनिर्णीत	
3.	पैरा 6.3	अनिर्णीत	
4.	पैरा 6.4	अनिर्णीत	
5.	पैरा 7.1	अनिर्णीत	
6.	पैरा 8	अनिर्णीत	
7.	पैरा 8.1	अनिर्णीत	
8.	पैरा 9	अनिर्णीत	
9.	पैरा 10	अंशत निर्णीत	(शेष क्र०सं० 4,7,20,22 व 24 अनिर्णीत)
10.	पैरा 11	अनिर्णीत	
11.	पैरा 11.1	अनिर्णीत	
12.	पैरा 13	अनिर्णीत	
13.	पैरा 14	अनिर्णीत	
14.	पैरा 15	अनिर्णीत	
15.	पैरा 16(i) व (ii)	अनिर्णीत	
16.	पैरा 17	अनिर्णीत	
17.	पैरा 17(1, 2 व 3)	अनिर्णीत	
18.	पैरा 18	अनिर्णीत	

(ण) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2011 से 3/2014

1	पैरा-4	अनिर्णीत
2	पैरा-4.3	अनिर्णीत
3	पैरा-4.6	अनिर्णीत
4	पैरा-5	अनिर्णीत

5	पैरा-5.1	अनिर्णीत
6	पैरा- 7	अनिर्णीत
7	पैरा- 7.1	अनिर्णीत
8	पैरा- 7.2	अनिर्णीत
9	पैरा-7.3	अनिर्णीत
10	पैरा-8	अनिर्णीत
11	पैरा-9	अनिर्णीत
12	पैरा-10	अनिर्णीत
13	पैरा-11	अनिर्णीत
14	पैरा- 12	अनिर्णीत
15	पैरा- 13	अनिर्णीत
16	पैरा- 14	अनिर्णीत
17	पैरा- 16	अनिर्णीत
18	पैरा- 17	अनिर्णीत
19	पैरा- 18	अनिर्णीत
20	पैरा- 19	अनिर्णीत
21	पैरा-20	अनिर्णीत
22	पैरा-21	अनिर्णीत
23	पैरा-21.1	अनिर्णीत
24	पैरा- 22	अनिर्णीत
25	पैरा- 22.1	अनिर्णीत
26	पैरा- 23	अनिर्णीत
27	पैरा- 24	अनिर्णीत
28	पैरा- 25	अनिर्णीत
29	पैरा- 25.1	अनिर्णीत

(ट) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि

4/2014 से 3/2016

1	पैरा-3	निर्णीत
2	पैरा-4	अनिर्णीत

3	पैरा-5	निर्णीत व पुन: प्रारूपित
4	पैरा-6(क)	अनिर्णीत
5	पैरा- 6 (ख)	अनिर्णीत
6	पैरा- 7 (क)	निर्णीत व पुन: प्रारूपित
7	पैरा- 7 (ख)	अनिर्णीत
8	पैरा- 8(क)	निर्णीत व पुन: प्रारूपित
9	पैरा- 8 (ख)	अनिर्णीत
10	पैरा- 8 (ग़)	निर्णीत व पुन: प्रारूपित
11	पैरा- 8 (घ)	अनिर्णीत
12	पैरा- 8 (ड)	अनिर्णीत
13	पैरा- 9	अनिर्णीत
14	पैरा- 10	अनिर्णीत
15	पैरा- 11	अनिर्णीत
16	पैरा- 12	अनिर्णीत
17	पैरा- 13	अनिर्णीत
18	पैरा- 14	अनिर्णीत
19	पैरा- 15	अनिर्णीत
20	पैरा- 16	अनिर्णीत
21	पैरा- 17	अनिर्णीत
22	पैरा- 18	अनिर्णीत
23	पैरा- 19	अनिर्णीत
24	पैरा- 20	अनिर्णीत
25	पैरा- 21	अनिर्णीत
26	पैरा- 22	अनिर्णीत

अवधि 31.3.2016 तक प्रतिवेदनों के बकाया पैरे	286
वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के दौरान निर्णीत पैरे	(–) 5
वर्तमान अंकेक्षण में अधिरोपित पैरें	**(+) 36**
दिनांक 31.3.2018 को बकाया पैरे	317